न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-509RAAJodhpur2022-310RTA225 Devaram Vs Tejaram etc

देवाराम पुत्र पेमाराम जाति सुथार, निवासी– ग्राम भादा, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. तेजाराम पुत्र सांगाराम
02. दीपाराम पुत्र सांगाराम
03. मूलाराम पुत्र सांगाराम
04. अचलाराम पुत्र सांगाराम
05. धूड़ाराम पुत्र सांगाराम
06. हेमी पत्नी सांगाराम
07. मगी पत्नी पेमाराम
08. गुणपतराम पुत्र सांगाराम
09. घेवरराम पुत्र सांगाराम
    सभी जातियान् सुथार, निवासीगण– भादा, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बापिणी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 18 नवंबर 2022 सहायक कलक्टर लोहावट राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 205/2022 तेजाराम व अन्य बनाम देवाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या एक से पांच
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पोडेंट संख्या दस

नि र्ण य

दिनांक : 26 नवंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 205/2022 अनवान तेजाराम व अन्य बनाम देवाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 18 नवंबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 25 नवंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट्स संख्या एक से छः ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 150 रकबा 15.2485 हैक्टेयर, खसरा नं. 164 रकबा 0.1862 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 165 रकबा 5.1152 हैक्टेयर ग्राम भादा के संबंध धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18 नवंबर 2022 अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को अंतरिम रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी विवादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। अपीलार्थी के द्वारा अपने नाम से विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया था, जो विद्युत कनेक्शन का मांग पत्र दिनांक 12.04.2022 को जारी किया गया तथा जिसकी मांग पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 10.07.2022 थी। अपीलांट खसरा नं. 165 हेतु डिमाण्ड राशि जमा करवाकर विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना चाहता है, जिसकी वह छूट प्राप्त करने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, जबकि विधि अनुसार सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 नवंबर 2022 को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के विचाराधीन रहते विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट को अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 23.12.2022 के जरिये विद्युत कनेक्शन की छूट प्रदान की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट को अपीलाधीन आदेश से पाबंद किया जावे एवं अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात का रेकर्डेड सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। अपीलांट द्वारा कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु सहायक अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. बापिणी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर उसके नाम से 30 एच.पी. का कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किया गया है। अदालत हाजा द्वारा उक्त तथ्य के परिप्रेक्ष्य में आदेश दिनांक 23.12.2022 के जरिये अपीलांट को अपीलाधीन आदेश में कृषि विद्युत कनेक्शन की छूट दी गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा चाहा गया त्वरित अनुतोष प्रदान कर दिये जाने से अब वादग्रस्त आराजी को सरंक्षित रखने के लिए अपीलांट को अपीलाधीन आदेश के जरिये पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। लिहाजा मामला अंतिम निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 205/2022 अनवान तेजाराम व अन्य बनाम देवाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 18 नवंबर 2022 में पक्षकारान् को कृषि विद्युत कनेक्शन की शिथिलता प्रदान करते हुए मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एक माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{ओमप्रकाश विश्नोई}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर